

कैम्प दाखिल खारिज चार सं० 610/113-17

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक ..... में आयोजित कैम्प में

श्री श्री रामलाला प्रसाद सिन्हा डी. ए. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा

भुवनेश्वर निवास B.P. सिन्हा पथ D Block

ग्राम रघुकुशा थाना रघुकुशा जिला पटना

चसीका नं० 4699 दिनांक 12/7/1993 को द्वारा निर्माकित जमान का

दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>पधरी</u>	<u>14</u>	<u>173</u>	<u>1491</u>	<u>4080 -</u> <u>शुद्ध</u>	<u>2.0</u>

610/113

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज ..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर

MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर

